

08-07-17

प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 08.07.17 में पेश।

परिवादी सहित अधिवक्ता श्री संजय राठौर उप0। उन्होंने मेमो पेश किया।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा।

प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरित, परिवादी के छायाचित्र युक्त राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 147 एन0आई0 एक्ट मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। परिवादी की पहचान अधिवक्ता श्री संजय राठौर एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा द्वारा की गयी।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

परिवादी ने राजीनामा आवेदन के माध्यम से निवेदन किया है कि उसने अभियुक्त की गरीब स्थिति को देखते हुए चैक राशि में से मात्र एक लाख रुपये न्यायालय के बाहर प्राप्त कर लिए हैं, अन्य राशि में से कुछ लेना देना शेष नहीं हैं। अभियुक्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है और उसका कोई रोजगार नहीं है इस कारण से राजीनामा करना चाहते हैं। अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्त पर धारा 138 एन0आई0 एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि न्यायालय की अनुमति से शमनीय हैं।

न्यायदृष्टांत **दामोदर एस.प्रभु विरुद्ध सैयद बाबा लाल ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 1907** तीन न्याय मूर्ति गण की पीठ के मामले में समझौते पर निम्नानुसार परिव्यय लगाने के निर्देश दिये हैं :-

1. यदि अभियुक्त प्रकरण का सूचना पत्र मिलने के बाद पहली या दूसरी सुनवाई पर समझौता आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तब उस पर कोई परिव्यय नहीं लगाया जायेगा।
2. यदि अभियुक्त पहली या दूसरी सुनवाई तिथि के बाद विचारण न्यायालय में समझौता आवेदन लगाता है तो उस पर चैक की राशि का दस प्रतिशत परिव्यय लगाया जा सकेगा।

उक्त परिव्यय जिस स्तर के न्यायालय पर समझौता होता है वहां के विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करवाना होता है। लेकिन न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कारण लिखते हुए उक्त परिव्यय कम कर सकती है।

“Caselaw:- Madhya Pradesh State Legal Services Authority v. Prateek Jain and another (2014) 10 SCC 690 : 2015 (2) MPLJ 104 : JT 2014 (10) SC 413

Para 26. Having regard thereto, we are of the opinion that even when a case is decided in Lok Adalat, the requirement of following the guidelines contained in **Damodar S. Prabhu AIR 2010 SC 1907: 2010 Indlaw SC 334** (supra) should normally not be dispensed with. However, if there is a special/specific reason

to deviate therefrom, the Court is not remediless as Damodar S. Prabhu 2010 (supra) itself has given discretion to the concerned Court to reduce the costs with regard to specific facts and circumstances of the case, while recording reasons in writing about such variance. Therefore, in those matters where the case has to be decided/settled in the Lok Adalat, if the Court finds that it is a result of positive attitude of the parties, in such appropriate cases, the Court can always reduce the costs by imposing minimal costs or even waive the same. For that, it would be for the parties, particularly the accused person, to make out a plausible case for the waiver/reduction of costs and to convince the concerned Court about the same. This course of action, according to us, would strike a balance between the two competing but equally important interests, namely, achieving the objectives delineated in Damodar S. Prabhu (supra) on the one hand and the public interest which is sought to be achieved by encouraging settlements/resolution of case through Lok Adalats.”

उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में इस प्रकरण को देखने से यह दर्शित है कि प्रकरण दिनांक 06.01.2016 को पंजीबद्ध हुआ जिसमें दिनांक 04.03.16 को अभियुक्त उपस्थित हो गया साथ ही निरंतर कार्यवाही में भाग लिया। अभियुक्त ने फरियादी के साथ स्वतः राजीनामा कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है, किसी प्रकार का विलंब कारित होना दर्शित नहीं हैं। अभियुक्त के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के संबंध में राशनकार्ड एवं राशन प्राप्ति की रसीदों की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिनकी मूल का अवलोकन किया गया है जिनसे यह दर्शित है कि अभियुक्त की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं इसी कारण से परिवादी ने चेक राशि में से एक लाख रुपये प्राप्त कर शेष को छोड़ देने के संबंध में तथ्य प्रकट किया है। लोक अदालत पीठ सदस्यगण द्वारा भी अनुशंसा सहित अभियुक्त पर परिव्यय राशि को कम किए जाने के लिए न्यायोचित आधार माना है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अभियुक्त से राजीनामा स्वीकार किए जाने हेतु न्यायोचित आधार हैं। साथ ही परिव्यय राशि चैक राशि के दस प्रतिशत से न्यून कर 9 हजार रुपये के रूप में आदेशित किए जाने हेतु उचित आधार पाया जाता है। उक्त राशि भुगतान राशि के लगभग 50 प्रतिशत है। अतः यदि अभियुक्त 9 हजार रुपये की राशि परिव्यय के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराए तो राजीनामा स्वीकार किया जावे।

9 हजार रुपये की राशि जमा करने के उपरान्त प्रकरण थोड़ी देर बाद पेश हो।

सही/-

पीठासीन अधिकारी

पुनश्च:

पक्षकार पूर्ववत।

अभियुक्त के द्वारा रसीद क्रमांक 02 बुक क्रमांक 6902 पर 9 हजार रुपये जमा कर रसीद प्रस्तुत की।

धारा 147 एन0आई0 एक्ट के अधीन राजीनामा स्वीकार किए जाने हेतु न्यायोचित आधार हैं। अतः बाद तस्दीक राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त कमलकिशोर को चैक क0 975312 दिनांक 30.06.15 राशि दो लाख रुपये के संबंध में धारा 138 एन0आई0 एक्ट के आरोप से राजीनामे के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।

लोक अदालत में राजीनामा संपन्न होने से परिवादी के पक्ष में न्यायशुल्क वापसी हेतु प्रमाण पत्र कलेक्टर को भेजा जावे।

अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)

सही/—

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)